श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2012 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति - यथा पंजी।

लोकसेवा का अधिकार अधिनियम :-

लोकसेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् आई० टी० प्रबंधक एवं अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जाति, आय, आवासीय, पेंशन, दाखिल खारिज एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बरियारपुर एवं टेटियाबम्बर अंचल को छोड़कर सभी अंचलो में सभी मामलों के निष्पादन की स्थिति सामान्य है। अंचल अधिकारी, बरियारपुर एवं टेटियाबम्बर को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द लम्बित मामलों का निष्पादन करें। साथ ही भविष्य में निर्धारित समय के अन्दर ही प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि भविष्य में विलम्ब होता है तो लोकसेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

भू-लगान :-

भू-लगान से संबंधित जिला के सभी अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। अंचलवार लगान वसूली की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र०	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि	प्रतिशत
1	सदर	11880.00	2.92
2	जमालपुर	20260.00	9.08
3	धरहरा	8440.00	3.07
4	बरियारपुर	27704.00	10.50
5	ह० खड़गपुर	25088.00	5.61
6	टेटियाबम्बर	50444.00	9.34
7	तारापुर	15118.00	6.16
8	असरगंज	6040.00	3.12
9	संग्रामपुर	14998.00	7.07
	कुल वसूली	179972-00	**6.41%**

इस तरह मुंगेर जिला में वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह अप्रैल में कुल 179972.00 (एक लाख उन्नासी हजार नौ सौ बहत्तर) रूपये भू-लगान की वसूली की गयी है। माह अप्रैल में अंचल अधिकारी सदर, धरहरा एवं असरगंज द्वारा कम वसूली की गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि भू-लगान की वसूली में तेजी लाये जिससे कृषकों को भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा हो।

लोक भू-अतिक्रमण :-

लोक भू-अतिक्रमण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया है।

गत् बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि माह अप्रैल से कम से कम तीन-तीन अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर वाद प्रारम्भ करेंगे एवं अतिक्रमणकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर निष्पादित करेंगे। चूंकि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराना अंचल अधिकारी का ही दायित्व है। माह अप्रैल में अंचल अधिकारी, जमालपुर द्वारा 03, धरहरा-03, बरियारपुर-01, ह0 खड़गपुर-02, तारापुर-02, संग्रामपुर-03 भू-अतिक्रमण मामले का प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी सदर, टेटियाबम्बर एवं असरगंज द्वारा एक भी मामला भू-अतिक्रमण का प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि यदि वे अपना कार्यकलाप में सुधार नहीं करेंगे तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अतिक्रमित भूमि का लेखा संधारण निश्चित रूप से करेंगे।

दाखिल-खारिज :-

दाखिल-खारिज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार माह अप्रैल 2012 में अंचलवार निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्रमांक	अंचल का नाम	31.03.11 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.11 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.11 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	153	0	172	325	0	169	169	156
2	जमालपुर	10	0	116	126	0	120	120	6
3	धरहरा	50	0	64	114	0	47	47	67
4	बरियारपुर	75	0	56	131	0	82	82	49
5	ह0 खड़गपुर	33	0	147	180	0	162	162	18
6	टेटिया बम्बर	33	0	63	96	0	54	54	42
7	तारापुर	128	0	138	266	0	173	173	93
8	असरगंज	175	0	160	335	0	232	232	103
9	संग्रामपुर	45	0	112	157	0	73	73	84
कुल योग :-		702	0	1028	1730	0	1112	1112	618

सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

सैरात :-

सैरात संबंधी प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह अप्रैल में कुल मो0 119111/- (एक लाख उन्नीस हजार एक सौ ग्यारह) रूपये की वसूली की गयी है। गत् बैठक में भी सैरात के बड़े बकायेदारों द्वारा सन्निहित राशि नही दिये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करने का निदेश दिया गया था।

सैरात से संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 31.03.2012 तक का जो सैरात बन्दोबस्तधारी द्वारा सन्निहित राशि जमा नहीं की गयी हैं उनकी सूची तैयार कर वसूली हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

स्थापना :-

अंचल अधिकारी असरगंज द्वारा बताया गया कि असरगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजना है, परन्तु अंचल में अमीन नहीं रहने के कारण भू-अर्जन का प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि खास महाल में पदस्थापित अमीन श्री भासो चौधरी एवं खड़गपुर अंचल में पदस्थापित अमीन श्री संजय सिंह को यथासंभव अधिकतम 3 (तीन) दिनों के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा बताया गया कि सदर अंचल में पदस्थापित अमीन श्री उमेश प्रसाद को तारापुर अंचल कार्यालय में पदस्थापन हुआ था, जिन्हें तारापुर अंचल कार्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद स्थानान्तरण के बाद दिनांक 10.04.2012 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

अंचल अधिकारी, सदर को निदेश दिया गया कि श्री उमेश प्रसाद अंचल अमीन के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर शीघ्रातिशीघ्र गठित कर भेजें।

केन्द्र प्रायोजित योजना :-

NLRMP योजना के तहत् 5 अंचलों में से 04 अंचलों यथा धरहरा, खड़गपुर, तारापुर एवं संग्रामपुर में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

गत् बैठक में अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया था कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को संसूचित करेंगे कि वे 15 मई तक कार्य पूर्ण करा दें। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता को 15 मई तक कार्य पूरा कराने का निदेश भेज दिया गया था एवं पुनः स्मारित किया जा रहा है।

भू-अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :-

विगत कई बैठकों में सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर के अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि उनसे संबंधित राजस्व ग्रामों का भू-अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का प्रिंट आउट जो जिला राजस्व कार्यालय से भेजा गया है, उस प्रिंट आउट में अंकित आंकड़ों की शुद्धता की जाँच कर जिला राजस्व कार्यालय को भेजेंगे परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। आप अवगत हैं कि भू-सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ होने वाला है, जिसमें भू-अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारियों द्वारा विभागीय निदेश के अनुकुल कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। इस निमित्त सभी अंचलाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अपने कार्यकलाप में सुधार कर एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार कर निष्पादन की गति में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

खेसरा पंजी :-

खेसरा पंजी तैयार करने हेतु पूर्व में सभी अचंल अधिकारियों को जिला अवर निबंधक, मुंगेर द्वारा विहित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया था कि खेसरा पंजी विहित प्रपत्र में तैयार कर जिला अवर निबंधक कार्यालय को आगामी बैठक के पूर्व निश्चित रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यथाशीघ्र उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में आंकड़ों की प्रविष्टि कर कार्यालय को उपलब्ध करायें।

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय :-

जिला के नवसृजित प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय के निर्माण के लिए ली जाने वाली भूमि के अर्जन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के चलते कार्य लम्बित है।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की बैठक शीघ्रताशीघ्र बुलाकर प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय टेटियाबम्बर, बरियारपुर, जमालपुर एवं असरगंज के लिए चयनित भूमि का अनुशंसा प्राप्त करने हेतु बैठक में समिति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे।

थाना भवन :-

भवनहीन थाना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि ईस्ट कॉलोनी थाना भवन के लिए जो पूर्व में मुख्य कारखाना प्रबन्धक, जमालपुर से अनुरोध पत्र 1.00 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया था, उसकी उपलब्धता के संबंध में सूचना अप्राप्त है। पुनः मुख्य कारखाना प्रबंधक को स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य भवनहीन थाना के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

सम्पर्क सड़क :-

गत् बैठक में अंचल अधिकारी सदर, जमालपुर टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर को सम्पर्क सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में अंचल अधिकारी, टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर से प्राप्त भू-अर्जन का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण था जिसे सुधार कर भेजने का निदेश दिया गया। सम्पर्क सड़क योजना से संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना के कार्यान्वयन हेतु भू- अर्जन का प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व भेजें।

महादलित :-

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व में सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों में से गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1762 वासरहित परिवारों, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा एवं क्रयनीति के तहत 158 वासरहित परिवारों को जमीन खरीदकर आच्छादित कर दिया गया है। क्रयनीति के तहत निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ 36 महादलित परिवारों को आच्छादित करना शेष है। अंचल अधिकरी, जमालपुर, बरियारपुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया गया कि भू-धारियों से सम्पर्क कर अगली बैठक के पूर्व भूमि चिन्हित कर वासरहित महादलित परिवारों को आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे।

गत् बैठक में भी सभी अंचल अधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में छूटे हुए महादलित परिवार को पुनः सर्वेक्षण कर उन्हें जमीन मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु अंचल अधिकारियों द्वारा पुर्नसर्वेक्षण करने सम्बन्धी प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द विभागीय निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० 09/05/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 262 /रा०, दिनांक 10-5-12

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 09/05/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 262 /रा०, दिनांक 10-5-12

प्रतिलिपि : आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना/निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 09/05/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।